

कार्य के घंटों और ओवरटाइम वेतन के बारे में कर्मचारियों के लिए सूचना

अस्वीकरण: इस संसाधन को कर्मचारियों तथा नियोजकों को रोजगार मानक अधिनियम, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) के तहत स्थापित न्यूनतम अधिकारों तथा कर्तव्यों व विनियमों को समझने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह कानूनी परामर्श नहीं है। इसका अभिप्राय ESA अथवा विनियमों को बदलना नहीं है तथा हमेशा विनियमों के आधिकारिक संस्करण का संदर्भ लिया जाना चाहिए। हालांकि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि इस संसाधन में दी गयी जानकारी यथासंभव ताजा तथा सटीक हो, फिर भी कभी-कभार त्रुटियां हो जाती हैं। ESA केवल न्यूनतम मानक उपलब्ध कराता है। किसी रोजगार अनुबंध, सामूहिक समझौते, सामान्य कानून या अन्य कानून के तहत कुछ कर्मचारियों के पास अधिक अधिकार हो सकते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

परिचय

ये कार्य के घंटों तथा ओवरटाइम वेतन के बारे में ओंटारियो में सामान्य नियम हैं। रोजगार मानक अधिनियम, 2000 ([Employment Standards Act, 2000](#)) (ESA) के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों के लिए अपवाद तथा विशेष नियम हैं। यह देखने के लिए कि क्या आपका व्यवसाय विशेष नियमों या अपवादों के अधीन है या नहीं, [Ontario.ca/ESAtools](#) पर उपलब्ध विशेष नियम उपकरण को देखें।

अपने ESA अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए आपका नियोक्ता न तो आपको भयभीत कर सकता है, न ही आपको नौकरी से निकाल सकता है, न ही आपको निलंबित कर सकता है, न आपके वेतन में कटौती कर सकता है, न किसी भी तरह आपको दंडित कर सकता है या इनमें से कोई भी कार्रवाई करने की धमकी नहीं दे सकता है।

कार्य के घंटे

कार्य के घंटों की अधिकतम दैनिक और साप्ताहिक सीमा इस प्रकार है:

- 8 घंटे प्रतिदिन (या आपके नियमित कार्यदिवस में कार्य के घंटों की संख्या, अगर यह 8 से अधिक), या
- 48 घंटे प्रति सप्ताह।

विश्राम का समय और भोजन की अवधि

आपके नियोक्ता को कम-से-कम निम्नलिखित देना चाहिए:

- प्रतिदिन कार्य से छुट्टी के लगातार 11 घंटे (एक "दिवस" 24 घंटे की अवधि का होता है – इसको एक कैलेंडर दिवस होने की जरूरत नहीं है);
- पारियों के बीच कार्य से 8 घंटे की छुट्टी (जब तक कि पारियों में किया गया काम 13 घंटे या उससे कम न हो, या आपने और आपके नियोक्ता ने अन्यथा लिखित रूप में सहमति व्यक्त न की हो); तथा
- प्रति सप्ताह कार्य से छुट्टी के लगातार 24 घंटे (या हर दो सप्ताह में कार्य से 48 घंटे की लगातार छुट्टी)।

आपको कार्य के अधिकतम पांच घंटों के बाद भोजन के लिए 30 मिनट की अवधि भी मिलनी चाहिए। आप इस भोजन अवधि को दो छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए अपने नियोक्ता के साथ करार कर सकते हैं।

ओवरटाइम वेतन

एक सप्ताह में प्रत्येक 44 घंटे से अधिक काम के लिए, आपके नियोक्ता को आपको आपके वेतन की नियमित दर का कम से कम 1½ गुना भुगतान करना होगा ("समय और आधा")।

कार्य के अतिरिक्त घंटे और ओवरटाइम को औसत करना

आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करना **चुनते हैं**, तो आप लिखित रूप में अपने नियोक्ता के साथ करार कर सकते हैं:

- प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम करना (या आपके नियमित कार्य दिवस में घंटों की संख्या, अगर यह 8 से अधिक है),
- प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम करना, **और / या**
- ओवरटाइम वेतन की गणना करने के लिए दो या अधिक सप्ताहों में काम की अवधि का औसत निकालना।

अनुमति दिए जाने वाले अतिरिक्त साप्ताहिक घंटों और/या ओवरटाइम का औसत निकालने के लिए, आपके नियोक्ता को श्रम मंत्रालय के रोजगार मानक निदेशक (Ministry of Labour's Director of Employment Standards) से मंजूरी लेने के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन की एक प्रति को ऐसी जगह लगाना होगा जहां आप इसे देख सकते हैं। आपके नियोक्ता को यदि कहीं निदेशक (Director) से मंजूरी मिल जाती है, तो मंजूरी के प्रपत्र को ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए जहां आप इसे देख सकते हैं। केवल आपका लिखित समझौता पर्याप्त नहीं है। आप निदेशक (Director) द्वारा मंजूर किए गए घंटों की संख्या से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। यह उन घंटों की संख्या से कम हो सकता है जिनके लिए काम करने हेतु आपने सहमति दी हो।

आप अपने नियोक्ता को दो सप्ताह का लिखित नोटिस देकर दैनिक या साप्ताहिक तौर पर अतिरिक्त घंटे काम करने के समझौते को रद्द कर सकते हैं। आपका नियोक्ता भी आपको उचित नोटिस देकर समझौते को रद्द कर सकता है।

ओवरटाइम के औसत के समझौतों की एक समाप्ति तिथि होनी चाहिए और इसको तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि आप और आपके नियोक्ता, दोनों सहमत न हों।

आमतौर पर, यदि आपका प्रतिनिधित्व यूनियन द्वारा किया जाता है, तो आपकी यूनियन आपकी ओर से आपके नियोक्ता के साथ समझौता करेगी।

और अधिक जानकारी या दावा दायर करने के लिए

यदि ESA के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो आप 416-326-7160 पर, टॉल-फ्री 1-800-531-5551 पर या TTY 1-866-567-8893 पर श्रम मंत्रालय रोजगार मानक सूचना केंद्र (Ministry of Labour's Employment Standards Information Centre) को कॉल कर सकते हैं। सूचना कई भाषाओं में उपलब्ध है।

कार्य के घंटों और ओवरटाइम वेतन के बारे में अधिक जानकारी आपकी *रोजगार मानक अधिनियम, 2000 के लिए आपकी मार्गदर्शिका (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000)* में देखी जा सकती है जो Ontario.ca/ESAGuide पर उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो Ontario.ca/ESAtools पर उपलब्ध काम के घंटे और ओवरटाइम उपकरण (Hours of Work and Overtime Tool) का भी उपयोग कर सकते हैं। एक दावा दायर करने के लिए, आप Ontario.ca/ESAforms पर रोजगार मानक दावा फॉर्म (Employment Standards Claim Form) को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं।